न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी-गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 379 सन् 2012

पंजीयन दिनांक :- 19.12.2012

1. भैरूलाल पिता किशना कीर निवासी कीरखेड़ा तहसील व जिला चितौड़गढ
2. शारदा पुत्री किशना कीर निवासी कीरखेड़ा तहसील व जिला चितौड़गढ
3. रामी बेवा किशना कीर निवासी कीरखेड़ा तहसील व जिला चितौड़गढ

-अपीलांटगण

विरूद्ध

1. नगरपालिका चितौड़गढ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका चितौड़गढ
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर चितौड़गढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चितौड़गढ
प्रकरण संख्या 164/2007 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2012

वक्त बहस उपस्थित- 1. बंशीलाल गर्ग- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. सावन श्रीमाली - अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक :- 12.07.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपीलान्टगण वादीगण ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कीरखेड़ा में खसरा संख्या 2493 रकबा 0.05 हैक्टेयर कृषि आराजी अवस्थित है जो अपीलान्टगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी ने वर्ष 2004 में अनाधिकृत रूप से बिना किसी अवाप्ति की कार्यवाही किये बिना अपीलान्ट्स को सुने एवं बिना मुआवजा दिये उक्त कृषि आराजी भूमि पर सड़क बना दी। अपीलान्ट्स ने उक्त भूमि का कब्जा पुनः प्राप्त करने हेतु कब्जेयाबी का वाद पेश किया। बाद सुनवाई वाद वादी प्रमाणित नही मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2012 को वाद निरस्त करने के निर्णय एवं डिक्री पारित किये। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बहस हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा बहस नहीं की गई। दिनांक 31.05.2022 को बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया गया एवं दिनांक 13.02.2023 को न्यायहित में और अवसर दिया गया। दिनांक 30.06.2023 को अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व राजकीय अभिभाषक के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलान्टगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण वादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का बिना मुआवजा दिये अनाधिकृत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मौके पर सड़क बना दी जाने के कारण अपनी कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपीलान्टगण वादीगण प्रार्थीगण ने मौके पर पत्थरगढी करवाकर मौका पर्चा की प्रति विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये। अपीलांटगण वादीगण का दावा पूर्ण रूप से प्रमाणित हुआ किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कयासी आधारों पर दावा निरस्त कर दिया जो विधिविरूद्ध होकर खारिज योग्य है। अपील अपीलान्टगण वादीगण स्वीकार फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलांटगण की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अपीलीय पत्रावली व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांटगण वादीगण ने विवादित कृषि आराजी की कब्जेयाबी बाबत वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी ने प्रतिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि नगरपालिका के स्वामित्व एवं कब्जे की होकर मौके पर प्लॉट विक्रय किये गये जिन पर आवासीय मकान बने हुये है। भू-खण्डो के क्रेतागण आवासीय मकानों में निवास कर रहे है जिन्हें पक्षकार नही बनाये जाने से दावा चलने योग्य नहीं है। राजस्व रेकार्ड में विवादित भूमि अपीलांटगण के नाम रह जाने से गलत दावा प्रस्तुत किया गया। वादीगण के पिता किशना कीर ने प्रतिवादी संख्या 1 नगरपालिका से समझौता कर विवादित भूमि नगरपालिका को सुपुर्द कर दी। बदले में नगरपालिका द्वारा 5 आवासीय भू-खण्ड गांधीनगर चितौड़गढ में निःशुल्क किशना कीर को आवंटित किये गये। अपीलांटगण वादीगण का विगत 15 वर्षो से विवादित भूमि पर कोई कब्जा नही रहा है। अपीलांटगण वादीगण के पिता किशना कीर की मृत्यु हो चुकी है। उनके द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित भूमि का प्रतिफल प्राप्त कर लिया था जिससे वादपत्र चलने योग्य नहीं होकर निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 4 वाद बिन्दु नियत कर तनकीवार विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजी वादीगण के खातेदारी की होना सिद्ध मानी गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राजीनामा व वादीगण के पिता को उनकी कृषि भूमि के बदले दिये गये भू-खण्ड सम्बन्धी दस्तावेजो की प्रस्तुत प्रतियों में विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चितौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चितौड़गढ़

भूमि का आराजी नम्बर अंकित होना नही पाया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी के पक्ष में तनकी नम्बर 1 आंशिक रूप से सिद्ध मानी। तनकी नम्बर 3 वादी के विरूद्ध एवं तनकी नम्बर 2 व 4 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रतियों का अवलोकन करने पर पाया कि नगरपालिका चितौड़गढ की साधारण सभा प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 22.03.1999 के प्रस्ताव संख्या 2 के बिन्दु संख्या 8 व 10 पर विवादित भूमि के खसरा नम्बर 2493 अंकित नही होकर अन्य नम्बर दर्ज है। अपीलांट्गण वादीगण के पिता व रेस्पोर्डेट प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुये राजीनामा की प्रति में भी अन्य खसरा नम्बर अंकित है जिससे अपीलांट्गण वादीगण के पिता द्वारा उनकी विवादित कृषि भूमि के बदले कोई प्रतिफल प्राप्त किया जाना सिद्ध नही होता है। वाद विचारण के दौरान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितौड़गढ के आदेश से विवादित आराजी की पत्थरगढी के मौका पर्चा दिनांक 25.03.2011 की प्रति प्रदर्श 6 व प्रदर्श 1 जमाबन्दी ग्राम चितौड़गढ संवत 2056 से 2059 की नकल के अवलोकन से विवादित भूमि कृषि आराजी होकर अपीलांट्गण वादीगण की खातेदारी भूमि होने में कोई संशय नही है। अपीलांट्गण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 164/2007 कब्जेयाबी बाबत प्रकरण में अपीलांट्गण वादीगण को विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानते हुये वाद वादी निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये गये। उपर्युक्त विवेचन अनुसार उक्त निर्णय व डिक्री विधिसम्मत नही होकर निरस्तनीय है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चितौड़गढ द्वारा प्रकरण संख्या 164/2007 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2012 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत नवनिर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौड़गढ को पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब लौटाई जावें।

12/07/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)